न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 37/25 GCMS NO 2025/74

1. अमर सिह
2. मोहन सिह पुत्रान मूल्या
3. मगनी बेवा मूल्या
4. कैलाशी
5. कलावती
6. गुडडी पुत्रियान मूल्या समस्त जातियान मीना निवासीयान झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र बत्तू
2. सुरेश पुत्र गिर्राज
3. हरिओम पुत्र जगन
4. लखन पुत्र जगन
5. कपिल पुत्र हरिओम
6. निरंजन पुत्र जगन
7. जगन पुत्र रामहेत जातियान मीना निवासीयान झारेडा (वीलई का पुरा) तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 92/15 निर्णय दिनांक 28.2.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन)
अभिभाषक अपीला0 श्री संजय शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अशोक निमनका

दिनांक 13.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.2.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 1402 रकबा 17 ऐयर बारानी अब्वल तथा खसरा न0 1403 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जो पूर्व दिशा मे स्थित आम रास्ता खसरा न0 922 सें लंगवा है। उक्त भूमि के किसी भी भाग से गैरसायलान का कोई सबंध किसी प्रकार का नही है। इस भूमि मे होकर गैरसायलान का कोई रास्ता नही है। खसरा न0 1402 मे सायलान ने हनुमानजी का निजी मंदिर आम रास्ता के सहारे बना रखा है तथा उसके लंगवा पश्चिम मे पाटौर आलात काश्तकारी रखने हेतु बना रखी है एवं लेट्रिन बाथरूम निर्मित कर रखे है शेष भूमि यशमूल खसरा न0 1403 को सायलान कृषि कार्य मे लेते हैं। सायलान के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा न0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1402 के लगवा पूर्व दिशा मे रास्ता आम की भूमि खसरा न0 922 स्थित है। जिसमे होकर सालयान बिना किसी रोक टोक के 50 साल पूर्व से जमाने बुजुर्गान निकलते आ रहे है। सायलान को अपनी खातेदारी की भूमियो को आने जाने का एक मात्र रास्ता है। चकौल गैरसायलान भी खसरा न0 1402 आम रास्ता मे मिला है सायलान की खातेदारी की भूमि खसरा न0 1403 व 1402 मे होकर गैरसायल सुरेश की भूमि खसरा न0 1411 के लिए 30 फीट चौडा रास्ता कभी नही रहा ना ही आज मौके पर है। सायल नौकरी पेशा व्यक्ति है जो बाहर रहता है गैरसायलान सायल की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है तथा रास्ते के सबंध मे आये दिन विवाद करता रहता है। रास्ते को मोटर साईकिल व ट्रेक्टर ट्रोली लगाकर अवरूद्व करता है। सायलान मना करते है तो जान से मारने की धमकी देते है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वय और ना ही दीगर व्यक्तियो की मदद से सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि मे किसी भी भाग पर बलात कब्जा नही करे, सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा खसरा न0 1402 के पूर्वी सिरे पर स्थित रास्ते आम की भूमि खसरा न0 922 वाके ग्राम झारेडा से जाने वाले रास्ते जो ग्रम चोपुर से ग्राम बहादुरपुर को जाता है मे बाधा उत्पन्न ना करे तथा किसी प्रकार से अवरूद्व नही करे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं तथ्यो के विपरीत होन से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि निर्णय मे ऐसे कोई तथ्य अंकित नही किये है जिनके आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हो। केवल अपने निर्णय मे इतना अंकित किया है कि वाद पत्र के तथ्यो के सबंध मे वादी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य बहस से साबित करने मे असफल रहा है। जबकि सायलान ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो के सबंध मे अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 1402 व 1403 की जमाबंदी /नक्शा ट्रेस पेश की है। सायलान खसरा न0 1402 व 1403 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनसे गेरसायलान का कोई सबंध किसी प्रकार का नही है। रिकार्डेड खातेदार द्वारा दायर किये गये दावे को ही प्रथम दृष्टया केस ना मानकर अदालत मातहत ने भारी कानूनी भूल की है। जबकि विवादित भूमि से गैरसायलान का कोई सबंध नही है। प्रकरण मे गैरसायलान ने अपना जबाब/दस्तावेज भी पेश नही किये जिससे गैरसायलान मुकदमे को कन्टेन्ट करके प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते। अपने पक्ष को साबित करते। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सायलान का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्वान्त ना मानकर प्रार्थना पत्र को खारिज कर भारी कानूनी भूल की है

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तथा खिलु कानून आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने उभयपक्ष की बहस सुनकर इन्टेरिम टी आई दिनांक 19.10.15 को रिकार्डेड खातेदार व प्रार्थना पत्र के तथ्यो के आधार पर सही जारी की थी जिसे बिना कारण दर्ज किये प्रार्थना पत्र मे दर्ज किये तथ्यो का बिना खण्डन किये खारिज कर दिया जो खिलाफ कानून है। पारित निर्णय गैर कानूनी आर्बीटरी,मिसकन्सीब्ड इनोनियस व परवर्स होने से प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है। अदालत मातहत ने प्रकरण मे पेश नक्शा ट्रेस का कोई अवलोकन नही किया जिससे स्पष्ट साबित है कि गेरसायलान की खातेदारी की भूमि खसरा न0 1411 के लिए सायलान की खातेदारी की भूमि 1402 व 1403 मे होकर कोई रास्ता नही जाता है। जबकि गैरसायलान खसरा न0 1411 के लिए रास्ता सायलान की भूमि खसरा न0 1402 व 1403 मे से जबरदस्ती लठठ के बल पर लेना चाहते है। जिससे गैरसायलान , सायलान की भूमि 1402 व 1403 के प्रवेश करने वाले एक मात्र रास्ते खसरा न0 922 सिवायचक के एन्ट्रेस पर मोटर साईकिल व अन्य वाहन लगाकर सायलान के अपनी भूमि पर आवागमन मे आये दिन बाधा उत्पन्न करते रहते है झगडा फसाद करते है सायलान को जान से मारने की धमकी देते है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सायलान की टी आई खारिज फरमा दी, जो खिलाफ कानून है। निर्णय देने मे भारी कानूनी भूल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान की रिकार्डेड खातेदारी /कब्जे काश्त का कोई अवलोकन नही किया। ना ही निर्णय मे कोई वर्णन किया जो कि प्रथम दृष्टया केस को साबित करते है। ना ही मोके की रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का कोई उल्लेख निर्णय मे नही किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि गेरसायलान/रेस्पो0 द्वारा रास्ता अवरूद्व किया जा रहा है। चूकि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 1402 व 1403 का अपीलांट/सायलान रिकार्डेड खातेदार है जिस पर रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार से कब्जा करने का प्रयास नही किया गया है सायलान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढन्त आधारो पर पेश किया गया था जबकि रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार से कोई रास्ता अवरूद्व नही किया गया है। आराजी खसरा न0 922 सिवायचक भूमि है जिससे अपीलांट का किसी प्रकार का कोई सवंध वास्ता नही है। अपीलांट प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को सिद्व करने मे असफल रहा है। जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से खारिज किया है। प्रकरण मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति अपीलांट के पक्ष मे साबित नही माना है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट/सायलान आपसी रंजिशवश रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुगाबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खसरा न0 1402 व 1403 के अपीलांट/सायलान रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि गैरसायलान द्वारा अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा भूमि को डेमेज एवं एलीनेंट करने की धमकी दी जाती है। यदि किसी खातेदार की भूमि को किसी भी व्यक्ति द्वारा डेमेज किया जाता है तो खातेदार को अपूर्णनीय क्षति होने की प्रबल संभावना रहती है। गैरसायलान अपीलांट की भूमि खसरा न0 1402 व 1403 मे से जबरन यदि निकलने का प्रयास करते है तो अपीलांट की खातेदारी की फसल मे नुकसान होना संभव है। जबकि रास्ते के प्रयोजनार्थ भूमि प्राप्त करने के लिए कानून मे अलग से प्रावधान निहित है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर अपीलांट/सायल का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया है। जो निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के प्रकरण संख्या 92/15 मे पारित निर्णय दिनांक 28.02.2025 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पो0/गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 1402 व 1403 वाके ग्राम क्षारैडा तहसील हिण्डौन के आवागमन व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा किसी भी भाग पर कब्जा नही करे।

निर्णय आज दिनांक 13.4.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

मुकदमा अमरसिंह बनाम ...